

सेबी के दिनांक जनवरी 17, 2013 के परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफ़डी/डीआईएल/3/2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित पीएफसी ईएसओपी 2010 योजना का ब्यौरा

1. **जारीकर्ता का नाम:** पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2. **योजना का नाम:** पीएफसी ईएसओपी 2010 योजना
3. **कार्यान्वयन की तारीख:** 21 सितंबर, 2010
4. **कार्यान्वयन का माध्यम:** प्रत्यक्ष

(पीएफसी ईएसओपी 2010 योजना में अन्य विषय के साथ-साथ शामिल है कि ईएसओपी योजना वेतन समिति द्वारा शासित होगी। इसके अतिरिक्त, वेतन समिति ईएसओपी ट्रस्ट के माध्यम से ईएसओपी योजना को चला सकती है।

तथापि, वेतन समिति ने अपनी बैठक में ईएसओपी ट्रस्ट के बदले कार्मिकों को सीधे ईएसओपी का उपयोग करने पर शेयरों का आबंटन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।)

5. योजना के बारे में संक्षिप्त ब्यौरा: (कार्य-प्रणाली)

यह भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा-निर्देशों के अनुसार शुरू की गई निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) पर आधारित ईएसओपी योजना है। प्रति कार्मिक को दिए जाने वाले विकल्पों की अधिकतम संख्या उनके पीआरपी पर आधारित होती है, जिसका निर्धारण कंपनी की निष्पादन आकलन प्रणाली के अनुरूप वार्षिक रूप से किया जाता है।

इस योजना को वेतन समिति द्वारा शासित किए जाने की परिकल्पना की गई है, जो बाद में निर्दिष्ट ईएसओपी ट्रस्ट के माध्यम से ईएसओपी योजना को चला सकती है।

कंपनी ने अपने कार्मिकों के हितलाभ के लिए 'पीएफसी कार्मिक कल्याण ट्रस्ट' की स्थापना की तथा जो कंपनी के कार्मिक स्टॉक विकल्प योजना के लिए नगद का धारण, शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों का क्रय/धारण/अंतरण कर सकता है। तथापि, वेतन समिति ने अपनी बैठक में पीएफसी कल्याण ट्रस्ट के बदले कार्मिकों को सीधे ईएसओपी का उपयोग करने पर शेयरों का आबंटन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है और अब तक पीएफसी कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से कोई आबंटन नहीं किया गया है तथा ट्रस्ट ने ईएसओपी योजना के अंतर्गत गौण बाजार से कंपनी की कोई भी प्रतिभूति अधिग्रहित नहीं की है।

ट्रस्ट, ट्रस्टियों का ब्यौरा तथा कंपनी के प्रमोटरों या निदेशकों के साथ उनके संबंध

ट्रस्ट का नाम	दिनांक 07.02.2013 तक ट्रस्टियों के नाम	कंपनी के प्रमोटरों या निदेशकों के साथ संबंध
पीएफसी कार्मिक कल्याण ट्रस्ट	1. श्रीमती शैली वर्मा, महाप्रबंधक 2. श्री आर. मुराहरी, अपर महाप्रबंधक 3. श्री एस. रविन्द्रन, वरिष्ठ प्रबंधक 4. श्री नरेंद्र कुमार, सहायक प्रबंधक	शून्य

6. क्या प्रमोटर समूह/निदेशकों से संबंध प्रमोटर/व्यक्ति भी इस योजना में लाभार्थी होते हैं। यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा और उनकी हकदारी:

जी हाँ, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकगण इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं। चूंकि यह डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार शुरू की गई पीआरपी आधारित ईएसओपी योजना है, अतः योजना के अंतर्गत उनकी हकदारी उनके पीआरपी पर निर्भर करती है, जिसका निर्धारण कंपनी की निष्पादन आकलन प्रणाली के अनुरूप वार्षिक रूप से किया जाता है।

7. परिपत्र की तारीख तक योजना का प्रबंध करने वाले ट्रस्ट/किसी अन्य एजेंसी द्वारा धारित शेयरों की संख्या:

शून्य।

8. ट्रस्ट/एजेंसी किस प्रकार वर्तमान धारण के साथ डील करना चाह रही है (क्या कार्मिकों को अंतरित करना या कार्मिकों को हितलाभ अंतरित करने के लिए बाजार में बिक्री करना, यदि हाँ, इस प्रकार के अंतरण या बिक्री की प्रस्तावित तारीख संबंधी ब्यौरा दिया जाएगा) यह तारीख जून 30, 2013 से ऊपर नहीं होगी:

लागू नहीं।

9. उन व्यक्तियों का ब्यौरा, जो शेयरों या शेयरों से अर्जित हितलाभ के हकदार हैं, जो निम्नलिखित प्रारूप में परिपत्र की तारीख तक प्रदत्त शेयर पूंजी के 1 प्रतिशत से अधिक का भाग बनते हैं:

कार्मिक का नाम	क्या प्रमोटर/प्रमोटर समूह/निदेशक समूह में आते हैं	हकदार शेयरों की संख्या	प्रदत्त शेयर पूंजी पर इस हकदारी का प्रतिशत	उन्हें अंतरित/आबंटित शेयरों की संख्या/ जिसमें से बिंदु (3) में से उन्हें हितलाभ दिया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शून्य				

10. निम्नलिखित प्रारूप में अप्रैल 1, 2012 से योजना का प्रबंध करने वाली कंपनी/ट्रस्ट/किसी अन्य एजेंसी द्वारा गौण बाजार खरीद/बिक्री का ब्यौरा:

क्र.सं.	तारीख/समय	लेन-देन का प्रकार (खरीद/बिक्री)	प्रतिभूतियों की संख्या	मूल्य जिस पर खरीद/बिक्री की गई
शून्य				